

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी शिवालिक वन प्रभाग सहारनपुर
पत्रांक 2985/14-10 सहारनपुर दिनांक 18 जनवरी 2018
सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई,
मकान नं०-5, लेन नं०-4, तेगबहादुर रोड,
देहरादून। (उत्तराखण्ड)

विषय:-

शिवालिक वन प्रभाग में छुटमलपुर-गणेशपुर भाग (एन०एच०-72ए) किमी० 4.100 से 16.000 तक तथा रूडकी-छुटमलपुर-सहारनपुर-यमुनानगर (एन०एच०-73) कि०मी० 22.000 से 23.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 39.295 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित रू० 4436 वृक्षों के पातन व सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर में किमी० 28.300 से 70.000 तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 30.966 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 3408 वृक्षों के पातन कुल 70.201 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 7844 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ:-
महोदय,

आपका पत्रांक NHAI/PIU-DDN/33012/Forest issues(SHR)/2007/14187 Dt 08-1-2018

उक्त संदर्भित पत्र के कम में संशोधित मांग पत्र निम्नानुसार प्रेषित है :-

शर्त संख्या-1 शर्त के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वन भूमि अर्थात् 140402 हे० वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु रू० 27552631.00 (दो करोड़ पचहत्तर लाख बावन हजार छ. सौ इकतीस मात्र) धनराशि e-payment module के माध्यम से (अपने ई-पोर्टल पर उत्पन्न चालान के माध्यम से) वर्तमान नियमों के अनुरूप कैम्पा नई दिल्ली में, जमा कराने का कष्ट करें। विस्तृत जानकारी www.forestsclearance.nic.in पर उपलब्ध है, इस सम्बन्ध में मोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 1426/दिशा निर्देश दिनांक 6.01.2017, एडहोक कैम्पा का पत्र दिनांक 14.7.2017 तथा मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 184/2-37-2(e-payment portal) दिनांक 02.8.17 की प्रति भी संलग्न है। तत्कम में मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 943/2-37-2 (e-payment portal) दिनांक 08.12.2017(छाया प्रति संलग्न) द्वारा याचक विभाग से प्राप्त क्षतिपूर्ति उगाही (Compensatory levies) का e-payment portal के माध्यम से जमा कराई गयी धनराशि एड-हॉक कैम्पा भारत सरकार नई द्वारा सूचित संशोधित बैंक खाता संख्या-520101263743736 में जमा कराने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि उक्त प्रस्ताव में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु शिवालिक वन प्रभाग एवं जालौन वन प्रभाग, उरई से सम्बन्धित निम्नांकित क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं प्रभाग वार/क्षेत्रवार धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

तालिका-1

क्र०सं०	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	स्थल का नाम	क्षेत्रफल (हे०में)	प्रस्ताव में प्राविधानित धनराशि (धनराशि रू०में)
1	2	3	4		6
1	शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर	मोहण्ड	शाहजहांपुर 1बी	4.60	1071694.00
2			शाहजहांपुर 2सी(i)	11.64	2092781.00
3			खजनावर-2बी	6.23	1217643.00
4			कालूवाला -2बी	2.29	515451.00
4		शाकुम्भरी	सहन्सरा-1	2.80	651679.00
5	बडकला 2बी		17.60	2692983.00	
योग शिवालिक वन प्रभाग				45.16	8242231.00
6	जालौन,	काँच	मऊ	20.00	4157000.00

7	सा0वा0	माधोगढ	गोपालपुरा	50.00	9910000.00
8	प्रभाग उरई	कोच	झांगढैया	25.405	5243400.00
योग जालौन सा0वा0 प्रभाग				95.405	19310400.0
कुल योग				140.565	27552631.00

शर्त संख्या: 2 (क)— विषयांकित प्रस्ताव में आंकलित शिवालिक वन प्रभाग से सम्बन्धित NPV की धनराशि रु0 2,45,61,110.00 (दो करोड पैंतालीस लाख इकसठ हजार एक सौ दस मात्र), e-payment module के माध्यम से (उपरोक्त बिन्दु संख्या- 1 के अनुसार) कैम्पा, नई दिल्ली, में जमा कराने का कष्ट करें।

(ख)— उक्तानुसार जमा कराई गई धनराशि की ऑन लाइन ई-रसीद की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मद वार विवरण उपलब्ध हो) उपलब्ध कराने का कष्ट करें, सूचना उपलब्ध कराने हेतु 12 कालम, प्रपत्र संलग्न है। उक्त सूचना पांच प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(ग)— सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र (पांच प्रतियों में) प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करायी जायेगी।

शर्त संख्या-3— सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत इस आशय की बचनबद्धता प्रमाण पत्र (पांच प्रतियों में) प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखी जायेगी।

शर्त संख्या-4— सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र (पांच प्रतियों में) प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेन्ट्रल जोन बैंच भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दि0 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

शर्त संख्या-5— मक डिस्पोजल योजना निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयार कर (पांच प्रतियों में) प्रस्तुत करने का कष्ट करें, ताकि प्रश्नगत योजना को स्वीकृत कर उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

शर्त संख्या-6— सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत इस आशय की बचनबद्धता प्रमाण पत्र (पांच प्रतियों में) प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि प्रयोक्ता अभिकरण/ राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून, तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

शर्त संख्या-7— विषयांकित प्रस्ताव के क्रम में निर्गत सैद्धान्तिक अनुमति दिनांक 04.12.2017 की उपरोक्त समस्त शर्तों का अनुपालन करते हुये अनुपालन आख्या, (निम्नांकित प्रपत्र-1) एवं विभिन्न मदों से सम्बन्धित धनराशि का विवरण निम्नांकित प्रपत्रों (प्रपत्र- 2) में उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

प्रपत्र-1

Condition No.	Conditions	Status of Compliance
1	2	3

(विभिन्न मदों से सम्बन्धित धनराशि जमा कराये जाने सम्बन्धी सूचना) प्रपत्र-2

क्र0सं0	मद का नाम	धनराशि रु0 में
1	C.A. amount as per proposal	
2.	C.A. amount deposite	
3.	Difference in amount	
4.	Reason for difference	

5.	NPV amount as per proposal	
6.	NPV amount as deposited	
7.	Difference in amount	
8.	Reason for difference	
9.	Any other amount deposited (Complete details be provided)	
10.	CAMPA confirmation	

उक्त शर्त संख्या-7 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित वन भूमि पर वर्तमान में कोई गैर वानिकी कार्य/ वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का कोई नहीं किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त इस आशय का दृढबद्धता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने का कष्ट करें कि भविष्य में यदि अन्य किसी धनराशि की मांग नियमानुसार प्रयोक्ता एजेंसी से की जाती है, तो प्रयोक्ता अभिकरण उसका मुगतान करने हेतु बाध्यकारी होगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

नवीन
(आर० बालाचन्द्रन)
प्रभागीय वनाधिकारी
शिवालयिक वन प्रभाग
सहारनपुर

पत्रांक / 14-10 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 4- प्रभागीय निदेशक, जालौन सा०वा० प्रभाग उ०ई (उ०प्र०)।
- 5- प्रभागीय निदेशक, सा० वा० प्रभाग, सहारनपुर।

(आर० बालाचन्द्रन)
प्रभागीय वनाधिकारी
शिवालयिक वन प्रभाग
सहारनपुर।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर
पत्रांक 2602/141 दिनांक, सहारनपुर 3-1-2018
सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
पी0आई0यू0, मकान नम्बर-5, लेन नम्बर-4,
तेगबहादुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषय- शिवालिक वन प्रभाग में छुटमलपुर-गणेशपुर भाग (एन0एच0-72ए) कि0मी0 4.100 से 16.00 तक तथा रुडकी-छुटमलपुर-सहारनपुर-यमुनानगर (एन0एच.-73) कि0मी0 22.00 से 23.00 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 39.295 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4436 वृक्षों के पातन व सा0वा0प्रभाग, सहारनपुर में कि0मी0 28.30 से 70.00 तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 30.966 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 3406 वृक्षों के पातन, कुल 70.201 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 7844 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ:- आपका पत्रांक NAIH/PIC-DDN/33011/LA(SHF)/NH-73&72A/2017/13907, दिनांक 05.12.2017 तथा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/48/2017/एफ0सी0/663 दि. 04.12.2017

महोदय,

आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 05.12.2017 द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 04.12.2017 की प्रति उपलब्ध करायी गयी है, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक अनुमति निर्गत की गयी है। भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त सैद्धान्तिक अनुमति के कम में सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर से संबंधित शर्तों की अनुपालन तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

शर्त संख्या-1. इस प्रभाग से संबंधित नहीं है।

शर्त संख्या-2.(क) विषयांकित प्रस्ताव में आंकलित प्रभाग संबंधी एन0पी0वी0 की गई गणना की छायाप्रति संलग्न है। तदनुसार धनराशि शर्तों के अनुसार जमा की जाये।

(ख) शर्तों के अनुसार अनुपालन आख्या प्रेषित की जाये।

(ग) शर्तों के अनुसार प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जाये।

शर्त संख्या-3 शर्तों के अनुसार आख्या दी जाये।

शर्त संख्या-4 शर्तों के अनुसार अनुपालन आख्या दी जाये।

शर्त संख्या-5 शर्तों के अनुसार मक डिस्पोजन योजना की आख्या दी जाये।

शर्त संख्या-6 शर्तों के अनुसार आख्या दी जाये।

शर्त संख्या-7 शर्तों के अनुसार अनुपालन दिया जाये।

प्रपत्र-1

Condition No	Conditions	Status Of Compliance
--------------	------------	----------------------

(विभिन्न मदों से संबंधित धनराशि जमा कराये जाने संबंधी सूचना) प्रपत्र-2

क्र0 सं0	मद का नाम	धनराशि रु0 में
1	C.A amount as per proposal	
2	C.A amount as per deposit	
3	Difference in amount	
4	Reason for difference	
5	NPV amount as per proposal	

6	NPV amount as per deposited	
7	Difference in amount	
8	Reason for difference	
9	Any other amount deposited (Complete detail be provided)	
10	CAMPA confirmation	

उक्त शर्त संख्या-7 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित वन भूमि पर वर्तमान में कोई गैर वानिकी कार्य/वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का कोई उलघन नहीं किया गया है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय



(विजय सिंह)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग
सहारनपुर

पत्रांक / दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

(विजय सिंह)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग
सहारनपुर

CALCULATION SHEET OF NET PRESENT VALUE

Rehabilitatiung and upgrading to 4-lane with paved shoulder configuration of Chutmalpur - Ganeshpur section of NH-72A and Roorkee-Chutmalpur-Saharanpur-UP/Haryana Border section of NH-73 in the State of Uttar Pradesh

(Saharanpur Forest Division, Saharanpur)

Sr. No.	Division	Comptt. Number	Forest Area (Ha.)	Canopy Density	Eco-Class	NPV Rate (lac Rs. /Ha.)	NPV Amount (Rs. in Lacs)
1.	Saharanpur Forest Division	Road side plantation in Existing ROW notified as Protected Forest	30.9660	0.4 (Open Forest)	III (Tropical Dry deciduous Forest)	8,03,000	2,48,65,698

Date...06.11.17.....

Place...Saharanpur...

Name— Vijay Singh
प्रभाषी निदेशक

Signature—प्रभाषी वानिकी प्रभाग
सहारनपुर